

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी - श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या -20/2020

दायर दिनांक - 02.09.2020

निर्णय दिनांक - 27.10.2021

जीसीएमएस नं० - 2020/00050

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामा जाति रावत निवासी होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति- 1. श्री फिरोज मोहम्मद, अधि०, प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

:- निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 698 में दर्ज रामा वल्द नाहरा के वारिसान का समस्त 2/3 हिस्सा व कुशला वल्द दूला का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना-पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक 15.02.2021 पुष्कर/कोर्ट/2021/279 दिनांक 15.02.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत

27.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

नाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि " प्रार्थना-पत्र की बिन्दु संख्या 01 में प्रार्थी के पिता रामा पुत्र नाहरा जाति रावत द्वारा दिनांक 10.09.1993 को विक्रेतागण बीरमा पुत्र नाहरा एवं किशनी बेवा मान्दू व रामपाल व रामा पि. मान्दू से क्रय की होने का उल्लेख किया है। क्रय की गई आराजी ग्राम होकरा की वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 83 में खसरा नम्बर 549 रकबा 00-14-10 बीघा के हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार है।

वर्किंग ख0नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
549	00-14-10 बीघा	1018	0.03
		1019	0.04
		1022	0.05

नामा0सं0 36 दिनांक 25.01.96 विरासत से छीतर वल्द लाला के बजाय मु. किशनी बेवा मान्दू रामपाल व रामा पुत्र मान्दू रावत शेष इन्द्राज बदस्तूर व नामा0 संख्या 37 दिनांक 25.01.96 बेचान से विक्रेतागण किशनी बेवा मान्दू रामपाल व रामा पुत्र मान्दू बीरमा वल्द नाहरा के बजाय क्रेता रामा पुत्र नाहरा कौम रावप सा. देह शेष इन्द्राज बदस्तूर है। ग्राम होकरा की जमाबन्दी संवत् 2068-2071 के खाता संख्या 522 खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.05 किस्म चाही 1 कुल किता 03 कुल रकबा 0.12 में रामा वल्द नाहरा बीरमा वल्द नाहरा कुशला वल्द दूला कोम रावत सा.देह खातेदार के नाम खाता दर्ज है। नामा0 सं0 195 दिनांक 18.06.15 विरासत से रामा पुत्र नाहरा के स्थान पर महेन्द्र पुत्र रामा सन्तोष देवी पुत्री रामा मीरादेवी पत्नी पूनाराम, ज्ञानीसिंह व विकाससिंह नाबा. पुत्रगण पूनाराम प्रिया नाबा. पुत्री पूनाराम कौम रावत के नाम अंकन स्वीकार शेष इन्द्राज बदस्तूर का नोट है तथा नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 18.06.15 (इन्द्राज दुरुस्ती) से सम्पूर्ण खाता नं0 622 में नवीन इन्द्राज से रामा वल्द नाहरा व कुशाला वल्द दूला कौम रावत सा.देह स्वीकार हुआ। ग्राम होकरा की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता सं0 698 खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.03, 1019 रकबा 0.04, 1022 रकबा 0.05 किस्म चाही 1 में नामा0 सं0 410 दिनांक 26.07.17 अवाप्ति से ख0नं0 1018 रकबा 0.03, ख0नं0 1019 रकबा 0.04 सम्पूर्ण एवं ख0नं0 1022 रकबा 0.05 में से ख0नं0 1022 मि रकबा 0.009 पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम की स्वीकृति हुई शेष इन्द्राज यथावत का नोट लाल स्याही से लगा हुआ है। ग्राम होकरा तहसील पुष्कर की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072-75 (सेग्रीगेशन) जमाबंदी के खाता संख्या 980 में खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.03, ख0नं0 1019 रकबा 0.04 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार दिल्ली हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम खाता दर्ज है। तथा जमाबंदी के खाता संख्या 698 में ख0नं0 1022 रकबा 0.05 किस्म चाही 1 में खातेदार 1. ज्ञानी सिंह पुत्र पूनाराम हिस्सा 41/1200 2. पन्ना पुत्र कुशाला हिस्सा 41/100, 3. प्रिया पुत्री पूनाराम हिस्सा 41/1200, 4. महेन्द्र सिंह पुत्र रामा हि. 41/300 5. मीरा पत्नी पूनाराम हिस्सा 41/1200, 6. विकास सिंह पुत्र पूनाराम हिस्सा 41/1200 7. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार हिस्सा 9/50 सा. नई दिल्ली 8. सन्तोष देवी पुत्री रामा हि. 41/300 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार के नाम खाता दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

22.10.21,
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 698 में ख0नं0 1022 रकबा 0.05 किस्म चाही 1 में खातेदार 1. ज्ञानी सिंह पुत्र पूनाराम हिस्सा 41/1200 2. पन्ना पुत्र कुशाला हिस्सा 41/100, 3. प्रिया पुत्री पूनाराम हिस्सा 41/1200, 4. महेन्द्र सिंह पुत्र रामा हि. 41/300 5. मीरा पत्नी पूनाराम हिस्सा 41/1200, 6. विकास सिंह पुत्र पूनाराम हिस्सा 41/1200 7. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार हिस्सा 9/50 सा. नई दिल्ली 8. सन्तोष देवी पुत्री रामा हि. 41/300 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार के नाम खाता दर्ज है। अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है।



—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 698 में ख0नं0 1022 रकबा 0.05 किस्म चाही 1 में खातेदार 1. ज्ञानी सिंह पुत्र पूनाराम हिस्सा 41/1200 2. पन्ना पुत्र कुशाला हिस्सा 41/100, 3. प्रिया पुत्री पूनाराम हिस्सा 41/1200, 4. महेन्द्र सिंह पुत्र रामा हि. 41/300 5. मीरा पत्नी पूनाराम हिस्सा 41/1200, 6. विकास सिंह पुत्र पूनाराम हिस्सा 41/1200 7. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार हिस्सा 9/50 सा. नई दिल्ली 8. सन्तोष देवी पुत्री रामा हि. 41/300 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार के नाम खाता दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा सरे-इजलास सुनाया गया।

A
27.10.21
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)